

मुख्य विकास अधिकारी  
अलीगढ़।

सेवा में,

मा.कन्सलटेंट(ज्यूडिशियल),  
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,न्यू दिल्ली।

संख्या: 3515 /7-पं0/प्र0स्था0/ग्रा0पं0/एन.जी.टी./प्र0का0/2024-25/दिनांक: 30/09/2024  
विषय: मा.नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,न्यू दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, न्यू दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में दिनांक: 16.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या 2357 दिनांक 31 जुलाई,2024 द्वारा जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की समिति गठित करते हुए मौके पर शिकायत कर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए स्थलीय अभिलेखीय परीक्षण कर तथ्यात्मक आख्या अनुपालन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

तदकम में गठित समिति द्वारा दिनांक 24-08-2024 (संलग्नक-1) द्वारा निम्न संस्तुति के सापेक्ष ग्राम पंचायत अर्राना एवं खण्ड विकास अधिकारी खैर द्वारा किये गये अनुपालन (संलग्नक-2) की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	संयुक्त जांच समिति द्वारा की गई संस्तुति	अनुपालन आख्या
1	गाटा संख्या-38 पर भण्डारित कूड़े को अन्यत्र आबादी से दूर नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली,2016 के प्राविधानों के अनुसार एम0आर0एफ0 के माध्यम से निस्तारण किये जाने की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अर्राना द्वारा नियमानुसार किया जाये।	प्रश्नगत गाटा संख्या-38 पर भण्डारित कूड़े को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली,2016 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम की आबादी से दूर स्थापित किये गये कचरा से कंचन केन्द्र पर निस्तारण किया जा रहा है। कचरा से कंचन केन्द्र का फोटोग्राफ संलग्न है।
2	तालाब का उपयोग ग्राम सभा के वर्षा के जल संचय के रूप में पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर किया जा सकता है।	तालाब का उपयोग ग्राम सभा के वर्षा के जल संचय के रूप में प्रारम्भ कर दिया गया है एवं पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर दी गई है। फिल्टर चैम्बर का निर्माण करा लिया गया है, फोटोग्राफ संलग्न है।
3	तालाब में भण्डारित अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये।	अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को पृथक से शुद्धिकृत करने हेतु लीच पिट की स्थापना कर दी गई है। लीच पिट का फोटोग्राफ संलग्न है।
4	ग्राम सभा अर्राना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए बायो रेमिडेशन, एस0टी0पी0 अथवा लीच पिट के माध्यम से आवश्यक शुद्धिकरण करने के उपरान्त,भण्डारित पानी को ग्राम अर्राना के किसानों से अनुबन्ध कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये,जिस हेतु पृथक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाये।	ग्राम सभा अर्राना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए लीच पिट के माध्यम से शुद्धिकरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शुद्धिकरण करने के उपरान्त,भण्डारित पानी को सिंचाई कार्यों में प्रयोग करने हेतु ग्राम अर्राना के किसानों से अनुबन्ध कर लिया गया है। लीच पिट का फोटोग्राफ संलग्न है।


5	उक्त तालाब के आस-पास आवश्यक साफ-सफाई कराया जाये तथा पर्याप्त मात्रा में छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।	262 नगद तालाब के आस-पास पर्याप्त साफ-सफाई करा दी गई है। भण्डारित कूड़े को हटवा दिया गया है, अस्थाई बने हुए कूड़ाघर को विलुप्त घोषित करते हुए इस स्थान पर कूड़ा/गोबर आदि न डालने हेतु ग्रामवासियों को सूचना बोर्ड के माध्यम से सूचित करा दिया गया है। तालाब के किनारे जन उपयोगार्थ बैन्च स्थापित कर दी गई हैं। पर्यावरण अनुकूलित कैनीप्लान्ट का वृक्षारोपण करा दिया गया है। रोपित कराये गये कैनीप्लान्ट वृक्षारोपण के फोटोग्राफ संलग्न है।
---	--	---

अतः जनपद स्तरीय गठित समिति की अनुपालन आख्या (संलग्नक-3) के साथ संलग्न वर्तमान स्थिति की फोटो से स्पष्ट है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में वर्तमान में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस प्रकार निराधार तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर योजित प्रश्नगत वाद/प्रकरण पोषणीय न होने के कारण खारिज योग्य है।

आख्या मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुति हेतु संलग्नकों के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय



(प्रखर कुमार सिंह)  
मुख्य विकास अधिकारी  
अलीगढ़।

संख्या: /7-पं०/प्र०स्था०/ग्रा०पं०/एन.जी.टी./प्र०का०/2024-2025/दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ज़िला मजिस्ट्रेट महोदय, अलीगढ़ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी  
अलीगढ़।

कृपया उपर्युक्त विषयक के माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, न्यू दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अरराना व अन्य में दिनांक: 16.07.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:-

- 1- Discharge of liquid waste in the village on open land which is near the residence of applicant is grievance raised in this original application. It is stated that the said discharge is in violation of Section 24 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as 'Water Act, 1974') and Management of Solid waste is also an issue raised in this matter. It is said that provisions of environmental laws are being violated.
2. From reply submitted by respondent 1, it is evident that sewage is being discharged on open land, where, now a pond has developed due to collection of liquid waste causing damage to environment. No steps for remediation in accordance with law have been taken by respondent 1 till date, though in law, it is respondent 1 who is responsible for maintenance of sewers/sewage system
- 3- Similarly, for Handling, Treatment and Disposal of Solid Waste under Rule 15 of Solid Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as 'SWM Rules, 2019'), respondent 1 is responsible but it is said that solid waste is being dumped on a dumping centre and there is nothing on record to show that the said dumping centre is authorized in accordance with SWM Rules, 2016.
- 4- It is thus evident that here is a case where environmental laws are being violated everyday by respondent 1 and no responsible officer has taken any action which includes Chief Development Officer, Block Development Officer and also the Pradhan of Gram Panchayat, Arran, Tehsil Khair, Aligarh.
5. Mr. Dambar Singh, Gram Pradhan, Gram Panchayat, Arrana is present. On being questioned as to why prosecution should not be directed to be initiated against Pradhan Gram Panchayat; Chief Development Officer and Block Development Officer for violation of environmental laws besides, he made statement through counsel that he will take appropriate steps to remediate the situation and comply with environmental laws and norms within two months.

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी के पत्र संख्या 2357 दिनांक 31 जुलाई, 2024 द्वारा जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की समिति गठित करते हुए मौके पर शिकायत कर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए स्थलीय अभिलेखीय परीक्षण कर तथ्यात्मक आख्या अनुपालन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

तदक्रम में समिति द्वारा दिनांक 24-08-2024 को निम्न निष्कर्ष के साथ संस्तुति की गयी:-

निष्कर्ष:-

- 1- ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 38 पर ग्रामीणों द्वारा गोबर/उपले/कूड़े का भण्डारण शिकायतकर्ताओं के मकान कि निर्माण वर्ष 2018-19 से पूर्व से ही किया जा रहा है।
- 2- मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2022 में ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 38 पर लगभग 480 वर्गमीटर (12×40) क्षेत्रफल में तालाब का निर्माण किया गया है।
- 3- निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा गाटा संख्या 38 पर निर्मित तालाब में आशोधित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण किये जाने एवं उनके घर के सामने कूड़े के निस्तारण से गन्दगी की समस्या से अवगत कराया गया।

संस्तुति:-

- 1- गाटा संख्या-38 पर भण्डारित कूड़े को अन्यत्र आबादी से दूर नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार एम०आर०एफ० के माध्यम से निस्तारण किये जाने की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अरराना द्वारा नियमानुसार किया जाये।
- 2- तालाब का उपयोग ग्राम सभा के वर्षा के जल संचय के रूप में पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर किया जा सकता है।
- 3- तालाब में भण्डारित अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये।
- 4- ग्राम सभा अरराना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए बायो रेमिडेशन, एस०टी०पी० अथवा लीच पिट के माध्यम से आवश्यक शुद्धिकरण करने के उपरान्त, भण्डारित पानी को ग्राम अरराना के किसानों से अनुबन्ध कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये, जिस हेतु पृथक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाये।
- 5- उक्त तालाब के आस-पास आवश्यक साफ-सफाई कराया जाये तथा पर्याप्त मात्रा में छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।

*Sub*

*Sub*  
08/24

समिति द्वारा 05 बिन्दुओं पर की गयी संस्तुति पर ग्राम पंचायत अर्ना के प्रधान व सचिव द्वारा अनुपालन किया गया, जिसकी अनुपालन आख्या खण्ड विकास अधिकारी खैर के पत्र संख्या 903 दिनांक 30-09-2024 (संलग्नक-1) द्वारा निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है:-


- 1- प्रश्नगत गाटा संख्या-38 पर भण्डारित कूड़े को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम की आबादी से दूर स्थापित किये गये कचरा से कंचन केन्द्र पर निस्तारण किया जा रहा है।
- 2- तालाब का उपयोग ग्राम सभा के वर्षा के जल संचय के रूप में प्रारम्भ कर दिया गया है एवं पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर दी गई है। फिल्टर चैम्बर का निर्माण करा लिया गया है।
- 3- अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को पृथक से शुद्धिकृत करने हेतु लीच पिट की स्थापना कर दी गई है।
- 4- ग्राम सभा अर्ना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए लीच पिट के माध्यम से शुद्धिकरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शुद्धिकरण करने के उपरान्त, भण्डारित पानी को सिंचाई कार्यों में प्रयोग करने हेतु ग्राम अर्ना के किसानों से अनुबन्ध कर लिया गया है।
- 5- प्रश्नगत तालाब के आस-पास पर्याप्त साफ-सफाई करा दी गई है। भण्डारित कूड़े को हटवा दिया गया है, अस्थाई बने हुए कूड़ाघर को विलुप्त घोषित करते हुए इस स्थान पर कूड़ा/गोबर आदि न डालने हेतु ग्रामवासियों को सूचना बोर्ड के माध्यम से सूचित करा दिया गया है। तालाब के किनारे जन उपयोगार्थ बैन्च स्थापित कर दी गई हैं। पर्यावरण अनुकूलित कैनोप्लान्ट का वृक्षारोपण करा दिया गया है।


उपरोक्त आख्या एवं जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के पत्र संख्या 5866 दिनांक 17 फरवरी, 2024 द्वारा मा0 ट्रिब्यूनल को प्रेषित बिन्दुवार आख्या से स्थिति निम्नानुसार है:-


- 1- तरल अपशिष्ट को ग्राम में खुले भूमि में नही निस्तारित किया जा रहा है, जो कि गाटा संख्या 38 के लगभग 480 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के तालाब में फिल्टर चैम्बर से होते हुए निस्तारित हो रहा है।
- 2- ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) फेज-2 अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 1040 दिनांक 22 जून, 2021 द्वारा निर्गत गाईल लाइन के अनुसार कचरे को एकत्रित कर कचरा से कंचन केन्द्र/आर0आर0सी0 पर प्रबन्धन किया जा रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में वर्तमान में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। उपरोक्त आख्या एवं स्थलीय वर्तमान की फोटो के साथ कृत कार्यवाही से मा0 ट्रिब्यूनल को अवगत कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोक्त।

  
अधिसासी अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण, विभाग


  
जिला पंचायत राज अधिकारी  
अलीगढ़।

  
जिला विकास अधिकारी  
अलीगढ़।

संख्या: /7-पं0/प्र0स्था0/ग्रा0पं0/एन.जी.टी./प्र0का0/2024-2025/दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अलीगढ़ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट महोदय, अलीगढ़ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

  
जिला पंचायत राज अधिकारी  
अलीगढ़।



**विद्युत कूड़ा घर**  
 सारास ठाण वासिं केंसु विर किला-बलाट कि इस  
 स्थान पर कूड़ा/पोसुआदि डालने पर 500/- रु. आपर्कि  
 एउ केसु मं वसुव किरा बासो/

आ. ए.- अरुना देस- स्टे अलीना  
 आ. ए.- श्री डकर सिंह, बलाट- श्री विरकुण्ठा रानी





प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी  
खैर(अलीगढ़)

प्रेषित,

जिला पंचायत राज अधिकारी  
(अलीगढ़)।

पत्रांक 903 / शिका0सहा0 / 2024-25

दिनांक 30/09/2024

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0 ए0 संख्या 745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अरराना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के अनुपालनार्थ संयुक्त जांच समिति द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण में की गई संस्तुतियों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 2827/7/पं0स्था0/2024-25 दिनांक 24-8-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत संदर्भ के निरन्तरणार्थ मुख्य विकास अधिकारी महोदय अलीगढ़ के निर्देश दिनांक 31-07-2024 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अलीगढ़, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड, अलीगढ़, जिला पंचायत राज अधिकारी अलीगढ़ एवं जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 07-8-2024 को ग्राम अरराना के शिकायती स्थल के किये गये स्थलीय निरीक्षण के क्रम में संयुक्त जांच समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर आवश्यक कार्यवाही कर संस्तुतियों का अनुपालन करने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत सचिव-अरराना एवं ग्राम प्रधान-अरराना विकास खण्ड-खैर, जनपद-अलीगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30.09.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जांच समिति की संस्तुतियों अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करते हुए संस्तुतियों का अनुपालन करा दिया गया है। ग्राम पंचायत सचिव-अरराना एवं ग्राम प्रधान-अरराना विकास खण्ड-खैर, जनपद-अलीगढ़ के उक्त पत्र के क्रम में अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र0 सं0	संयुक्त जांच समिति द्वारा की गई संस्तुति	अनुपालन आख्या
1	गाटा संख्या-38 पर भण्डारित कूड़े को अन्यत्र आबादी से दूर नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार एम0आर0एफ0 के माध्यम से निस्तारण किये जाने की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अरराना द्वारा नियमानुसार किया जाये।	प्रश्नगत गाटा संख्या-38 पर भण्डारित कूड़े को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम की आबादी से दूर स्थापित किये गये कचरा से कंचन केन्द्र पर निस्तारण किया जा रहा है। कचरा से कंचन केन्द्र का फोटोग्राफ संलग्न है।
2	तालाब का उपयोग ग्राम सभा के वर्षा के जल संचय के रूप में पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर किया जा सकता है।	तालाब का उपयोग ग्राम सभा के वर्षा के जल संचय के रूप में प्रारम्भ कर दिया गया है एवं पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर दी गई है। फिल्टर चैम्बर का निर्माण करा लिया गया है, फोटोग्राफ संलग्न है।
3	तालाब में भण्डारित अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये।	अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को पृथक से शुद्धिकृत करने हेतु लीच पिट की स्थापना कर दी गई है। लीच पिट का फोटोग्राफ संलग्न है।
4	ग्राम सभा अरराना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए बायो रेमिडेशन, एस0टी0पी0 अथवा लीच पिट के माध्यम से आवश्यक शुद्धिकरण करने के उपरान्त, भण्डारित पानी को ग्राम अरराना के किसानों से अनुबन्ध कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये, जिस हेतु पृथक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाये।	ग्राम सभा अरराना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए लीच पिट के माध्यम से शुद्धिकरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शुद्धिकरण करने के उपरान्त, भण्डारित पानी को सिंचाई कार्यों में प्रयोग करने हेतु ग्राम अरराना के किसानों से अनुबन्ध कर लिया गया है। लीच पिट का फोटोग्राफ संलग्न है।

5	<p>उक्त तालाब के आस-पास आवश्यक साफ-सफाई कराया जाये तथा पर्याप्त मात्रा में छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।</p>	<p>प्रश्नगत तालाब के आस-पास पर्याप्त साफ-सफाई करा दी गई है। भण्डारित कूड़े को हटवा दिया गया है, अस्थाई बने हुए कूड़ाघर को विलुप्त घोषित करते हुए इस स्थान पर कूड़ा/गोबर आदि न डालने हेतु ग्रामवासियों को सूचना बोर्ड के माध्यम से सूचित करा दिया गया है। तालाब के किनारे जन उपयोगार्थ बैन्च स्थापित कर दी गई हैं। पर्यावरण अनुकूलित कैनीप्लान्ट का वृक्षारोपण करा दिया गया है। रोपित कराये गये कैनीप्लान्ट वृक्षारोपण के फोटोग्राफ संलग्न है।</p>
---	---	---

संलग्न:- ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान की आख्या एवं उपरोक्तानुसार फोटोग्राफ्स।

खण्ड विकास अधिकारी  
खैर(अलीगढ़) 20/09/24

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
  - 2- जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
  - 3- मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, अलीगढ़।
  - 4- जिला विकास अधिकारी, महोदय अलीगढ़।
  - 5- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

खण्ड विकास अधिकारी  
खैर(अलीगढ़)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-745/2023  
ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के  
सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ के निर्देश दिनांक 31.07.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शिकायती स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 07.08.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. शिकायतकर्ता श्रीमती ममता शर्मा द्वारा पूर्व में भी तालाब के सम्बन्ध में तहसील स्तर शिकायत पर की गयी थी, जिस पर उपजिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ व अन्य द्वारा जांच किया गया है (संलग्नक-1)।
2. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा संख्या-38 जो खतौनी में पीली मिट्टी के नाम से दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग-3 बीघा है। इस गाटा में आंशिक गांव की आबादी है एवं लगभग-480 वर्गमीटर (12X40) क्षेत्रफल में तालाब बना हुआ है। उक्त तालाब गांव के अन्तिम बिन्दु पर स्थित है, जिसमें अलीगढ़-खैर मार्ग पर स्थित ग्राम-अर्राना के कुछ घरों का पानी एवं वर्षा ऋतु के दौरान बारिश का पानी भी नाली के माध्यम से तालाब में आता है। निरीक्षण के समय तालाब में आने से पहले नाली में फिल्टर चैम्बर/मेस बार के माध्यम से सॉलिड वेस्ट, पत्ते, पॉलिथीन आदि को पृथक कर लिया जाता है। शिकायतकर्ता का मकान तालाब के अन्तिम छोर से लगभग-10-12 मीटर की दूरी पर स्थित है। तालाब के अक्षांश-27.930367 एवं देशान्तर-77.884457 है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम प्रधान श्री उम्बर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक दिनांक 28.04.2022 में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के क्रम में तालाब का निर्माण मनरेगा के अन्तर्गत किया गया है।
4. निरीक्षण के समय तालाब के आस-पास एवं ग्राम अर्राना में कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक गतिविधि दृष्टिगोचर नहीं पायी गयी, जिससे प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह के तालाब में निस्तारित होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।
5. उक्त तालाब में स्टेट हाईवे संख्या-334D के दक्षिण दिशा में स्थित ग्राम अर्राना की आंशिक आबादी का घरेलू उत्प्रवाह बिना समुचित शोधन के एवं वर्षा का जल निस्तारित किया जाता है। ग्राम अर्राना की स्टेट हाईवे की दक्षिण दिशा में स्थित लगभग-18 घरों (आबादी 90) से निस्तारित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह की अनुमानित मात्रा लगभग-06 कि0ली0/दिन है। उक्त घरेलू सीवेज का उपचार बायो रेमिडेशन तकनीकी व अन्य सुलभ विधि से किया जा सकता है। उक्त तालाब में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शोधन के किये जाने से तालाब की जल की गुणता प्रभावित होना स्वाभाविक है।
6. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.2024 को किये गये निरीक्षण के समय तालाब से एकत्रित उत्प्रवाह नमूने में प्रदूषणकारी प्रचालक बी0ओ0डी0 की मात्रा-52 मि0ग्रा0/ली0, टी0एस0एस0 की मात्रा-342 मि0ग्रा0/ली0 तथा डी0ओ0 की मात्रा-3.7 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है (संलग्नक-2)।
7. ग्राम अर्राना से प्रतिदिन जनित होने वाले घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा प्रति व्यक्ति 60 ग्राम/दिन के आधार पर लगभग-5.4 किग्रा0/दिन है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम अर्राना के

Se/DPRO

मु. वि. अधि.  
अलीगढ़  
28/8/24

50/4/24  
D.B.R.O  
31.8.24

लगभग-5-6 घरों के व्यक्तियों द्वारा पाले गये पशुओं से जनित गोबर/अन्य वेस्ट 25-30 कि०ग्रा०/दिन/प्रतिपशु की दर से लगभग-200 कि०ग्रा०/दिन जनित होता है, जिसको ग्रामीणों द्वारा कम्पोस्ट खाद बनाये जाने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता के मकान के सामने ग्राम पंचायत की उक्त जमीन गाटा संख्या-38 पर 05-06 घूरे (गोबर/वेस्ट के ढेर) तथा उपलों के ढेर बनाये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्री डम्बर सिंह द्वारा सूचित किया गया कि उक्त घूरे शिकायतकर्ता के निर्मित मकान से पूर्व से बने हैं।




8. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.2024 को किये गये निरीक्षण के समय तालाब के समीप स्थित श्रीमती शकुन्तला देवी के आवास के पास स्थापित हैण्ड पम्प का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्या संलग्न है (संलग्नक-3)।
9. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान दिनांक 14.02.2018 तक उक्त स्थल पर स्थापित नहीं था, बल्कि ग्रामवासियों द्वारा शिकायती स्थल पर गोबर डाला जाता था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है-



(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 14.02.2018)

(गूगल सैटेलाइट इमेज जून, 2014)


10. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान दिनांक 02.04.2019 में बन गया था, परन्तु तालाब का निर्माण दिनांक 25.03.2022 तक नहीं हुआ था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है—



(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 02.04.2019)

(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 25.03.2022)

11. गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022 एवं निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के समय तालाब एवं फिल्टर चैम्बर का निर्माण कर लिया गया। निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के समय तालाब के किनारे वृक्षारोपण पाया गया। निरीक्षण एवं गूगल सैटेलाइट के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है—



(गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022)

(निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के फोटोग्राफ )



(निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के फोटोग्राफ )

निष्कर्ष-

- ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या-38 पर ग्रामीणों द्वारा गोबर/उपले/कूड़े का भण्डारण शिकायतकर्ता के मकान के निर्माण वर्ष 2018-19 से पूर्व से ही किया जा रहा है।
- मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2022 में ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या-38 पर लगभग-480 वर्गमीटर (12X40) क्षेत्रफल में तालाब का निर्माण किया गया है।
- निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा गाटा संख्या-38 पर निर्मित तालाब में आशोधित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण किये जाने एवं उनके घर के सामने कूड़े के निस्तारण से गन्दगी, की समस्या से अवगत कराया गया।

संस्तुति

- गाटा संख्या-38 पर भण्डारित कूड़े को अन्यत्र आबादी से दूर नगरीय टोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार एम0आर0एफ0 के माध्यम से निस्तारण किये जाने की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अरना द्वारा नियमानुसार किया जाये।
- तालाब का उपयोग ग्रामसभा के वर्षा जलसंचय के रूप में पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर किया जा सकता है।
- तालाब में भण्डारित अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये।
- ग्रामसभा अरना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए, बायो रेमिडेशन, एस0टी0पी0 अथवा लीच पिट के माध्यम से आवश्यक शुद्धिकरण करने के उपरान्त, भण्डारित पानी को ग्राम अरना के किसानों से अनुबन्ध कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये, जिस हेतु पृथक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाये।
- उक्त तालाब के आस-पास आवश्यक साफ-सफाई कराया जाये तथा पर्याप्त मात्रा में छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अधिशायी अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण  
विभाग,  
अलीगढ़

(उपेन्द्र प्रसाद)  
सहायक पर्यावरण अभियन्ता  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
अलीगढ़

(धनंजय जायसवाल)  
जिला पंचायत राज  
अधिकारी  
अलीगढ़

जिला विकास  
अधिकारी  
अलीगढ़

# कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ ।

पत्रांक 2827 7/पं0/प्र0स्था0/2024-25 दिनांक 24.08.2024

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- जिलाधिकारी महोदय अलीगढ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय अलीगढ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ ।
- 3- खण्ड विकास अधिकारी खैर को अनुपालनार्थ ।
- 4- प्रधान व सचिव ग्रा0पं0 अराना विकास खण्ड खैर को अनुपालनार्थ ।

जिला पंचायत राज अधिकारी  
अलीगढ ।